**Details of Compensatory Afforestation**

**88. Sh. NEERAJ SHARMA (Faridabad Nit):**

Will the Environment, Forest & Wildlife Minister be pleased to state: -

1. whether the objectives of compensatory afforestation have been achieved in State and how much net recorded forest land has been diverted till to date in Shivaliks and Aravalis together with how much has been compensated;
2. whether the original sites of CA approved have been changed in the past and if so, reprojects for new sites were got reappeared by Forests department from GOI:
3. the total funds under CAMPA in State left togerther with the year wise expenditure since 1980 alongwith the number of plants which have become trees under CA;
4. whether there is any vacant area for the CA in Aravalis;
5. the details of the private area which falls in Aravalli Safari Zone;
6. the expected expenditure of the project safari and its distribution on plantation activities and non plantation activities; and
7. whether any cost benefit analysis has been carried out of Safari project?

**Reply: Kanwar Pal, Forest Minister, Haryana**

a) Yes Sir, The data for diversion of forests readily available is of districts as a whole and the forest area of recorded forest land diverted in the districts having presence of Shivalik and Aravalli Hills since, 1980 is as under: -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sr. No.**  | **Name of District** | **Forest area diverted (in Ha.)** |
| **SHIVALIK DISTRICTS** |
| 1 | Panchkula  | 601.41 |
| 2 | Ambala | 570.10 |
| 3 | Yamuna Nagar | 426.95 |
|  | **Total** | **1598.46** |
| **ARAVALLI DISTRICTS** |
| 4 | Gurugram  | 822.43 |
| 5 | Faridabad  | 499.66 |
| 6 | Nuh | 287.67 |
| 7 | Rewari | 408.72 |
| 8 | M.garh | 237.66 |
| 9 | Charkhi Dadri | 10.48 |
| 10 | Bhiwani  | 374.72 |
|  | **Total**  | **2641.34** |
|  | **G. Total** | **4239.80** |

The total compensatory afforestation in the said Districts under CAMPA since 2010 is 5698.63 Hectare. In most cases of forest land diversion, compensatory afforestation in existing degraded forest land has been done in accordance with approvals given by the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.

b) Yes, there are cases where CA plantations have been done on locations different from the locations proposed at the time of approval of the proposals made under Forest Conservation Act. In some cases, the proposals of Forest Divisions for change of CA sites have been sent to the Ministry of Environment, Forest & Climate Change for approval. The approval has been received in some cases and for the rest, the approval is awaited.

c) As on 1st April, 2023 966.40 crore is available with State Authority. The state CAMPA authority was created in January, 2010 by Govt. Notification 5330-Ft.-4-09/511 dated 18.01.2010. The details of year wise expenditure since the creation of CAMPA are given below-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S. No.**  | **Year** | **Afforestation work done under CAMPA (in Cr.)** |
| 1 | 2009-10 | No work was done under CAMPA |
| 2 | 2010-11 | 11.23 |
| 3 | 2011-12 | 16.12 |
| 4 | 2012-13 | 20.54 |
| 5 | 2013-14 | 17.87 |
| 6 | 2014-15 | 21.90 |
| 7 | 2015-16 | 32.68 |
| 8 | 2016-17 | 56.50 |
| 9 | 2017-18 | 62.30 |
| 10 | 2018-19 | 122.52 |
| 11 | 2019-20 | 60.32 |
| 12 | 2020-21 | 124.34 |
| 13 | 2021-22 | 212.17 |
| 14 | 2022-23 | 135.16 |
| **G. Total**  | **893.64** |

The scheme wise record of plantations is maintained by the Department till these are at sapling stage. After their maturity, all trees irrespective of their origin from any plantation scheme or natural growth are enumerated if standing on strips along roads or canals and in Block Forest areas these are provided protection through patrolling and vigil. It is not feasible to know the origin of trees from any particular scheme or natural growth.

d) The ownership of Aravalli is mostly with community, municipal corporations, panchayats or private holdings. The forest department only regulates the lands in Aravallis which are notified under special section- 4 and/or 5 of Punjab Land Preservation Act, 1900. The information of availability of vacant areas for the CA in Aravalli is not readily available with the department.

e) The proposal of Aravalli SAFARI Park Project is presently under planning and consideration stage and no area has been finalized as on date.

f) Does not arise in view of 'e' above.

g) Does not arise in view of 'e' above.

**प्रतिपूरक वनरोपण का विवरण**

**88. श्री नीरज शर्मा (फरीदाबाद NIT):**

क्या पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

ए) क्या राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है तथा शिवालिक और अरावली में अब तक कुल कितनी वन भूमि का गैर वानिकी उपयोगो के लिए परिवर्तन किया गया है और कितने की छतिपूर्ति हुई है;

 बी) क्या सीए द्वारा अनुमोदित मूल स्थलों को पूर्व में बदल दिया गया है और यदि हां, तो नए स्थलों के लिए भारत सरकार से वन विभाग द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया :

 सी) राज्य में कैम्पा के तहत 1980 के बाद से वर्षवार व्यय के साथ बची कुल धनराशि और प्रतिपूर्ति पौधरोपण के तहत पेड़ बन चुके पौधों की संख्या;

 डी) क्या अरावली में सीए के लिए कोई खाली क्षेत्र है;

 ई) अरावली सफारी क्षेत्र में आने वाले निजी क्षेत्र का विवरण;

 एफ) परियोजना सफ़ारी का अपेक्षित व्यय और वृक्षारोपण गतिविधियों और गैर-वृक्षारोपण गतिविधियों पर इसका वितरण; और

 जी) क्या सफारी परियोजना का कोई लागत-लाभ विश्लेषण किया गया है?

**उत्तर : कंवर पाल, वन मंत्री, हरियाणा**

 ए) जी श्रीमान। वनों के डायवर्जन के लिए सहजता से उपलब्ध आंकड़े समग्र रूप से जिलों का है और 1980 के बाद से शिवालिक और अरावली पहाड़ियों की उपस्थिति वाले जिलों में डायवर्ट की गई दर्ज वन भूमि का वन क्षेत्र इस प्रकार है: -

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम संख्या**  | **जिले का नाम** | **परिवर्तित (डाइवर्टेड ) वन क्षेत्र (हेक्टेयर में)** |
| **शिवालिक जिले** |
| 1 | पंचकुला | 601.41 |
| 2 | अंबाला | 570.10 |
| 3 | यमुनानगर | 426.95 |
|   | **कुल** | **1598.46** |
| **अरावली जिले** |
| 4 | गुरुग्राम  | 822.43 |
| 5 | फरीदाबाद | 499.66 |
| 6 | नूह | 287.67 |
| 7 | रेवाड़ी | 408.72 |
| 8 | महेन्दरगढ़  | 237.66 |
| 9 | चरखी दादरी  | 10.48 |
| 10 | भिवानी  | 374.72 |
|   | **योग**  | **2641.34** |
|   | **कुल योग**  | **4239.80** |

वर्ष 2010 से कैम्पा सृजन उपरांत अब तक उक्त जिलों में कुल **5698.63** प्रतिपूर्ति पौधारोपण किया गया है। वन भूमि परिवर्तन के अधिकांश मामलों में, मौजूदा उजड़ी हुई वन भूमि में प्रतिपूर्ति पौधारोपण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार किया गया है।

 बी) हां, ऐसे मामले हैं जहां वन संरक्षण अधिनियम के तहत किए गए प्रस्तावों के अनुमोदन के समय प्रस्तावित स्थानों से भिन्न स्थानों पर सीए वृक्षारोपण किया गया है। कुछ मामलों में, सीए स्थलों में बदलाव के लिए वन मण्डलों के प्रस्तावों को मंजूरी के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया है। कुछ मामलों में मंजूरी मिल चुकी है और बाकी के लिए मंजूरी का इंतजार है।

 सी) 1 अप्रैल, 2023 तक राज्य कैम्पा प्राधिकरण के पास 966.40 करोड़ उपलब्ध है। राज्य कैम्पा प्राधिकरण जनवरी, 2010 में सरकार द्वारा अधिसूचना 5330-फीट.-4-09/511 दिनांक 18.01.2010 द्वारा बनाया गया कैम्पा के निर्माण के बाद से वर्षवार व्यय का विवरण नीचे दिया गया है-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम संख्या**  | **वर्ष** | **कैम्पा के अंतर्गत किया गया वनरोपण कार्य (करोड़ में)** |
| 1 | 2009-10 | कैम्पा के तहत कोई काम नहीं हुआ |
| 2 | 2010-11 | 11.23 |
| 3 | 2011-12 | 16.12 |
| 4 | 2012-13 | 20.54 |
| 5 | 2013-14 | 17.87 |
| 6 | 2014-15 | 21.90 |
| 7 | 2015-16 | 32.68 |
| 8 | 2016-17 | 56.50 |
| 9 | 2017-18 | 62.30 |
| 10 | 2018-19 | 122.52 |
| 11 | 2019-20 | 60.32 |
| 12 | 2020-21 | 124.34 |
| 13 | 2021-22 | 212.17 |
| 14 | 2022-23 | 135.16 |
|  **कुल योग**  | **893.64** |

विभाग द्वारा योजनावार वृक्षारोपण का अभिलेख तब तक रखा जाता है जब तक कि यह यौवन काल में होता है। उनकी परिपक़्वता के बाद, किसी भी वृक्षारोपण या प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए सभी उन पेड़ों की गणना की जाती है, जो सड़कों या नहरों के किनारे पट्टियों पर खड़े होते हैं। ब्लॉक वन क्षेत्रों में इन्हें गश्त और निगरानी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाती है। अतः किसी विशेष योजना या प्राकृतिक रूप से विकसित वृक्षों को अलग अलग छांटना संभव नहीं है।

 डी) अरावली का स्वामित्व अधिकतर समुदाय, नगर निगमों, पंचायतों या निजी हाथों में होता है। वन विभाग अरावली में केवल उन भूमियों को विनियमित करता है जो पंजाब भू संरक्षण अधिनियम 1900 की विशेष धारा- 4 और/या 5 के तहत अधिसूचित हैं। अरावली में सीए के लिए रिक्त क्षेत्रों की उपलब्धता की जानकारी विभाग के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है।

ई ) अरावली सफारी पार्क परियोजना का प्रस्ताव वर्तमान में योजना और विचार चरण में है और अभी तक इसके क्षेत्र को कोई अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

 एफ) प्रश्न 'ई' को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

 जी) प्रश्न 'ई' को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।